दस रुपये TEN RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

R 923-II/07

# न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रक. /2007 निगरानी

वैजनाथ साहू पुत्र श्री रामेश्वर साहू निवासी ग्राम तिवनी तह. सिरमौर जिला रीवा म.प्र.

---आवेदक

बनाम

1. भगवानदीन साहू पुत्र श्री रामधनी साहु
2. रामकरण साहु पुत्र श्री गयादीन साहु
3. विश्राम साहु पुत्र स्व. श्री वातानी साहु निवासीगण ग्राम तिवनी तह. सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

---अनावेदकगण

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा के प्रक0 389/अपील/05–06 में पारित आदेश दिनांक 21–05–07 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।**

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है:–

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :–

यह कि प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, भूमि सर्वे क. 3454 रकवा 0.56 एकड में से 0.19 डि. का भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी नायब तहसीलदार मनगवॉ उपतहसील गंगेव तह. सिरमौर के समक्ष अनावेदकगण द्वारा आवेदनपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा विवादित भूमि पर पक्का भवन निर्माण किया जाकर रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है। यह कि, उक्त विवादित आराजी नं. 3454 के जिस भाग के भूमिस्वामी आवेदक जरिये खसरा सुधार हो चुके हैं। इस पर आवेदक का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 923–दो/07 जिला –रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेष | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | | |
| 26.9.16 | आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 389/अपील/05–06 में पारित आदेश दिनांक 21.5.07 के विरूद्व इस न्यायालय म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदकगण के द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को रोका जाय जिससे अनावेदक का रास्ता प्रभावित न हों जिस पर तहसीलदार ने आवेदन पत्र को विचारण पश्चात निरस्त किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी ने 12 कडी रास्ता के अवरोध को हटवाकर रास्ता खोलवाये जाने बावत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इससे परिवेदित होकर आवेदक ने अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा आदेश दिनांक 21.5.07 को निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।<br>3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा विवादित भूमि पर पक्का | |

भवन निर्माण किया जाकर रास्ता अवरूद्व किया जा रहा है यह कि उक्त विवादित आराजी न0 3454 के जिस भाग के भूमिस्वामी आवेदक जरिये खसरा सुधार हो चुके हैं। इस पर आवेदक का पुस्तैनी मकान बना था जो जीर्ण होने के कारण आवेदक के पास रहने का घर का अन्य कोई विकल्प उपलबध न होने के कारण पुरानी नींव पर ही घर नये रूप में बनाया गया है तथा यह निर्माण पूर्ण हो चुका हैं तथा जहां से रास्ता था वह आज भी चालू है तभी निर्माण के बाद भी आज दो वर्षो प्रत्यर्थीगण का निर्विवाद निस्तार का रहा है। इन सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुये तथा न्यायिक अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुये नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 12.4.05 पारित जो उचित एवं विधिक तथा पर्याप्त अवसर के बाद सभी अपेक्षाओं की पूर्ति के बाद पारित किया गया था जो यथावत रखे जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4— अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही है उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है तथा उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5— उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन मेरे द्वारा किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय दिनांक 12.4.05 को स्वतः स्थल निरीक्षण कर आदेश पारित किया और उभयपक्षों को सूचना जारी किये बिना स्थल निरीक्षण किया गया है। नायब तहसीलदार ने अपने स्थल निरीक्षण व पंचनामा दिनांक 29.3.05 में स्पष्ट किया है कि रास्ता

अवरूद्व कोई दूसरा अन्य रास्ता नहीं हैं इसके कारण अनावेदक व अन्य लोगों का रास्ता व आम निस्तार अवरूद्व है। किसी के रास्ते व आमरास्ता को अवरूद्व नहीं किया जा सकता है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हू कि तहसीलदार ने उभयपक्ष के समक्ष स्थल निरीक्षण नहीं किया है और नहीं उन्हें सूचना दी गई है। अतः तहसीलदार को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है और निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निराकरण गुण दोषों के आधार पर निर्णय पारित करें। प्रकरण निराकृत किया जाता है।

सदस्य